


अनवान
सुगनादेवी बनाम ओबाराम व अन्य

प्रकरण संख्या 15/2025

14.08.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक व दो के अधिवक्ता उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल निगरानी प्रार्थना पत्र जरिए राजीनामा के निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरौही